न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 10/2021

पंजीयन दिनांकः 22.03.2021

संलीम खां पिता मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. मोहम्मद पिता करीम बक्ष जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. गफ्फार खां पिता मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. साहिदा पिता मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. जाकीर पिता मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. बेगम पिता मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. शरीफ पिता मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. इकबाल पिता मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी आसावरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 10/2018 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.02.21

उपस्थित वक्त बहसः1. ललित शर्मा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. खुमराज कुमावत–रेस्पोडेन्ट 1,3 से 7
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 29.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा आसावरा तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 1303 रकबा 0.24 हैक्टेयर स्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त की होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण की पुश्तैनी है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण का पुश्तैनी मकान रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने रतन नवलका को बेचकर उक्त आराजीयात रतन नवलका से खरीदी। उक्त आराजीयात की कीमत का भुगतान पुश्तैनी मकान के बदले मे हुआ है जिससे उक्त आराजीयात अपीलान्ट की पैतृक होकर अपीलान्ट का उक्त आराजीयात मे 1/8 हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपीलान्ट का पिता है जो काफी बुजुर्ग होकर सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। वर्तमान मे मानसिक स्थिति भी खराब चल रही है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज रेकार्ड कृषि भूमि को भू-माफिया रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाजायज फायदा उठाकर उपरोक्त कृषि आराजीयात को खरीदकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 को अपने अधिकारो से वंचित करना चाह रहे है जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

उक्त आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 से 7 विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 30.01.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व जवाब प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने स्वअर्जित आय से क्रय की है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा था। मुस्लिम लॉ के अनुसार पिता के जीवित रहते हुए पुत्र व पुत्रियां हक हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारिणी नही है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया नही होकर सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष मे जिससे अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। उक्त जवाब प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.02.2021 को उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया। पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.01.2018 को विड्रो की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश जो अपीलान्ट प्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की गई। उक्त निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण 1, 3 से 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर निरस्त किया है। अपील व बहस मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रोपर तामील होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट प्रार्थी ने यह प्रमाणित करवाया है कि उक्त आराजीयात पैतृक आय से क्रय की गई है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये आवश्यक बिन्दुओ का विस्तृत विश्लेषण किये बगैर अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया है जबकि विवादित आराजीयात पैतृक आय से रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम पर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी की स्वअर्जित आय से क्रय करना मानते हुए अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 से 7 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात अपनी स्वअर्जित आय से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 काबिज होकर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पक्षकारान मुस्लिम शरीयत से गर्वन होते है। मुस्लिम लॉ के तहत पिता के जीवित रहते हुए पुत्र पत्रियां का किसी प्रकार हक नही रहता है। अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे विवादित कृषि आराजीयात पैतृक होकर अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित हो। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करने का अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पारित किया है वह विधिपूर्ण होकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 8 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे दिनांक 17.01.2018 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 30.01.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उभपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र का निर्णय करते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.01.2018 को विड्रो किये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण व्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र मे इकरारनामा जो मोहम्मद हुसैन रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के मध्य मे निष्पादित होना बताया है, जो अपंजीकृत है। उक्त इकरारनामे के आधारपर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही होना मानते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.02.2021 न्यायोचित होने से अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 10/2018 निर्णय व आदेश दिनांक 10.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)